



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1934 (श0)
(सं0 पटना 103) पटना, मंगलवार, 5 फरवरी 2013

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचनाएं
29 जनवरी 2013

सं0 8/मु0 (कमीशन)-73/2012-127—न्यायालय शुल्क, 1870 (1870 का 7) की धारा-27 एवं धारा-34 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार न्यायालय फीस (फ्रैंकिंग मशीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) (संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम 7 के उप-नियम (6) निम्न लिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं :-

“(6) फ्रैंकिंग मशीन से न्यायालय फीस स्टाम्पों की बिक्री के लिए जिला स्कोर (DISCORE) को 10% (दस प्रतिशत) कमीशन भुगततेय होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्रमा सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

The 29th January 2013

No. 8/MU (Commission) -73/2012-127—In exercise of the powers conferred under section 27 and 34 of the Court Fees Act, 1870 (1870 of 7) the Governor of Bihar is pleased to substitute the sub-rule (6) of Rule 7 of the Bihar Court Fees (sale of stamp's by Franking machine) (Amendment) Rules, 2010 by following :-

"(6) 10% (Ten percent) commission shall be payable to the District Score (DISCORE) on sale of court fee stamps by Franking machine".

By order of the Governor of Bihar,

CHANDRAMA SINGH,

Addl. Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 103-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>